

न पक्ष हो।
र

14/2024

पत्रावली पत्रा शर्षि अधिवक्ता 344 बकील ०

बकील के प्रार्थना के शर्षि पत्र थाय 25/1/19) RT. Act
पर बकील प्रार्थना को ह्नुग गया। शर्षिना बकील के
जाहिर किया कि शर्षिना पत्र थाय 25/1/19 RT. Act को
पत्रना नही थाई है। अतः प्रार्थना पत्र परिणु NOT-Peresh
में खारिज किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र परिणु NOT Peresh में
खारिज किया जाई। पत्रावली केवल शर्षिना होकर ही खारिज
कर है व जमान में रुग है

Handwritten signature

Handwritten signature

सहायक कलेक्टर, सांगौर

